

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2024/116)

प्रकरण संख्या:-80/2024

तारीख दायर:- 11/07/2024

निर्णय दिनांक:-14/10/2025

उनवान

1. हरिसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी लसानी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थी।

बनाम

1. रतनसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपुत निवासी लसानी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. तहसीलदार देवगढ़ राज्य सरकार प्रतिनिधि।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956
:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्त द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लसानी पटवार सर्कल लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 369 खसरा संख्या 1625, 1626 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थी की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा गया। जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। जिससे जवाब अपेक्षित नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)

—:आदेश:—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम लसानी पटवार सर्कल लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 369 खसरा संख्या 1625, 1626 कुल किता 02 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावे। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावे। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्च पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



21/10/25
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द.)